



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 जून, 2021
ज्येष्ठ 21, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या जी-2-108/दस-2021-502-85
लखनऊ, 11 जून, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-45

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम और 2021 कही जाएगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये नियम 17(1)(क) का संशोधन गये नियम 17(1)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

17-(1) (क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी।

टिप्पणी-1 :- गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी-2(क) :- किसी स्थल, गृह या प्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

17-(1) (क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 75,000 रुपये (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) से अधिक न होगी।

टिप्पणी-1 :- गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रु० (चालीस हजार रुपये मात्र) से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी-2(क) :- किसी स्थल, गृह या प्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।

आज्ञा से,
एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-2-108/X-2021-502-85, dated June 11, 2021:

No. G-2-108/X-2021-502-85

Dated Lucknow, June 11, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

**THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH)
(AMENDMENT) RULE, 2021**

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rule, 2021. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, for rule 17 (1) (A) set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 17 (1) (A)

COLUMN-1

Existing rules

Conditions for withdrawal 17 (1) (A)
Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clauses (A), (C), (D) or (E) of rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six month's pay, whichever is

COLUMN-2

Rules as hereby substituted

Conditions for withdrawal 17 (1) (A)
Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clauses (A), (C), (D) or (E) of rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six month's pay, whichever is

COLUMN-1*Existing rules*

less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund :

Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-clauses (d) and (e) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 16 shall exceed Rs. 40,000.

NOTE 1 :- In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 25,000. It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

NOTE 2 :- For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.

COLUMN-2*Rules as hereby substituted*

less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund :

Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-clauses (d) and (e) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 16 shall exceed Rs. 75,000 (Rupees Seventy five thousand only).

NOTE 1 :- In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 40,000 (Rupees Forty thousand only). It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

NOTE 2 :- For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.

By order,
S. RADHA CHAUHAN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 83 राजपत्र-2021-(147)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० वित्त-2021-(148)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।